

**ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों का**

**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक**

**भाग-1**

**1 (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चोबिया में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-**

**प्रधान :-**

| क्रम संख्या | नाम                 | अवधि                        |
|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.          | श्रीमती कुमारी बाला | 01.04.2024 से 31.03.2025 तक |

**पंचायत सचिव:-**

| क्रम संख्या | नाम             | अवधि                        |
|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.          | श्री दीपक कुमार | 01.04.2024 से 31.03.2025 तक |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

| क्र सं | गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार                                                          | पैरा संख्या | राशि (₹ लाखों में) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1      | बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर बारे। | -           | -                  |

|   |                                                                                             |         |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 2 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना।                                                    | -       | -    |
| 3 | पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।                                          | 7.1,7.2 | 0.85 |
| 4 | औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे। | 8.1     | 4.97 |
| 5 | निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करने बारे।                                                  | 8.2     | 1.51 |
| 6 | ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के बिना अनियमित भुगतान करने बारे।                | 8.3     | 0.99 |
| 7 | GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।                        | 8.4     | 0.05 |
| 8 | आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।               | 8.5     | 0.10 |
| 9 | सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे             | 8.6     | 4.97 |

## भाग- दो

### 2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खंड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19-05-2025 से 23-05-2025 तक ग्राम पंचायत चोबिया के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | आय चयनित माह | व्यय चयनित माह |
|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.          | 2024-2025    | 09/2024      | 12/2024        |

**अस्वीकरण :-** “इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के

अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

### 3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अध्याचना संख्या -12 दिनांक 23-05-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

### 4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत चोबिया द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

#### 4 (अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत चोबिया के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है।

#### स्वः-स्त्रोत व अनुदान

| वित्तीय वर्ष | शीर्ष          | अथ शेष        | प्राप्ति       | योग            | व्यय           | अंतिम शेष      |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2024-25      | 1.स्वः-स्त्रोत | ₹ 5,21,116.39 | ₹ 18,84,595.00 | ₹ 24,05,711.39 | ₹ 13,84,271.0  | ₹ 10,21,440.39 |
|              | 2.अनुदान       | ₹ 0           | ₹ 44,09,896.61 | ₹ 44,09,896.61 | ₹ 44,09,896.61 | ₹ 0            |
|              | कुल            | ₹ 5,21,116.39 | ₹ 62,94,491.61 | ₹ 68,15,608.00 | ₹ 57,94,167.61 | ₹ 10,21,440.39 |

कुल योग ₹ 10,21,440.39

(ब) ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31-03-2025 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

| क्र० संख्या | खाता संख्या | बैंक का नाम | मद                       | राशि<br>31-03-2025 |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1.          | 17810106060 | HPSCB       | (Own Source)/SFC/General | ₹ 10,21,440.39     |
|             |             |             | कुल                      | ₹ 10,21,440.39     |

अन्तर (अ - ब) ₹ ₹ 10,21,440.39-₹ ₹ 10,21,440.39= ₹ 0

#### 4.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है । ई-ग्राम स्वराज के अंतर्गत संधारित रोकड़ बहियाँ मद/ शीर्ष अनुसार संधारित न करके एक ही शीर्ष / मद में संधारित की जा रही थी जिस कारण उक्त शीर्ष /मद के प्रारम्भिक शेष व अन्त शेष का पता लगाना मुश्किल था तथा किस मद / शीर्ष में कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई व खर्च हुई अंकेक्षण में पता नहीं लग सका । जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती । ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रखी जा रही कैश बुक में प्राप्तियों एवं व्ययों की प्रविष्टियाँ शीर्ष वाइज पृथक-पृथक रूप से संधारित नहीं की गई हैं । सभी लेन-देन एक ही क्रम में बिना योजना या मद का उल्लेख किए दर्ज किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस शीर्ष के अंतर्गत कौन सी राशि प्राप्त हुई तथा किस हेड से किस मद पर व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि और SFC के अनुदानों के लिए एक ही बैंक खाता संधारित किया है जिससे की इस प्रकार की प्रविष्टियों से योजना-वार व्यय का विश्लेषण करना कठिन हो जाता है एवं लेखांकन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में कमी आती है । तथा इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । यह वित्तीय अनियमितता की संभावना को जन्म देता है एवं लेखा परीक्षण के उद्देश्य को भी बाधित करता है ।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-11 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को मद / शीर्ष अनुसार तैयार किया जाएगा ।

अतः भविष्य में उक्त मदों/शीर्षों को अलग अलग दर्शाकर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

#### **4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे SFC तथा अन्य प्राप्त अनुदानों/मदों को भी पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

#### **5. अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके। ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक :- 21.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्त्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## **6. अनुदान**

### **6.1 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ।

### **6.2 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्य, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी ।

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले

अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7 स्व: स्त्रोत

### 7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.85 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुकता कर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली नियमानुसार नहीं की जा रही थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹84,140/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

#### 31-03-2025 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

| क्र० सं० | वित्तीय वर्ष | अथशेष | पंजीकृत परिवारों की संख्या | दर प्रति | वर्ष के दौरान माँग | कुल योग | वर्ष के दौरान वसूली | वसूली हेतु शेष बकाया राशि |
|----------|--------------|-------|----------------------------|----------|--------------------|---------|---------------------|---------------------------|
| 1        | 2024-25      | 72740 | 570                        | 20       | 11400              | 84140   | 0                   | 84140                     |

इस संबंध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 03 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप

राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **परिशिष्ट-4** अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वसूली गई राशि **₹2000** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹) |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1.          | 2024-25      | 2000                                             |
|             | <b>योग</b>   | <b>2000</b>                                      |

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-04 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

## 8. व्यय

### 8.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹4.97 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, (Tenders), कुटेशन (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चोबिया द्वारा राशि **497000/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

| क्र० सं | विवरण                                             | निधि का नाम | वाउचर संख्या /दिनांक | सामग्री का विवरण | राशि (₹)      |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1       | Ravinder kumar<br>PVC Work main<br>Bazar Bharmour | own Sources | 02/28.02.25          | Aluminum Fitting | 57000         |
| 2       | Ravinder kumar<br>PVC Work main<br>Bazar Bharmour | own Sources | 02/28.02.25          | Pailing Works    | 440000        |
|         |                                                   |             |                      | Total            | <b>497000</b> |

अंकेक्षण अध्याचना संख्या -07 दिनांक 21-05-2025 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत चोबिया के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

## 8.2 ₹1.51 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स,टाइल्स तथा अन्य निर्माण सामग्री का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण

सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है। परन्तु अंकेक्षण के चयनित माह के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 1,50,889/- की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स,टाइल्स तथा अन्य निर्माण सामग्री का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था।

| क्र० सं | विवरण                                           | निधि का नाम | वाउचर संख्या /दिनांक | सामग्री का विवरण | राशि (₹) |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------|
| 3       | Ashok Pinjla Tiles Vill Baduhi<br>tehsil nurpur | MGNREGA     | 04/10.04.24          | Interlock Tiles  | 150889   |
|         |                                                 |             |                      | Total            | 150889   |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11 दिनांक :-21.05.2025 को सचिव को अवगत करवाया गया था जिसका कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

### 8.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि 0.99 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹99,005/-आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे

पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार **₹99,005/-** का अनियमित भुगतान किया गया।

| क्र० सं | विवरण                                           | निधि का नाम | वाउचर संख्या /दिनांक | मद का विवरण  | राशि (₹)     |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1       | RAKESH<br>KUMAR<br>GOVT<br>CONT. VILL<br>CHOBIA | MGNREGA     | 06/21.11.24          | AGGREGATE    | 49875        |
|         | RAKESH<br>KUMAR<br>GOVT<br>CONT. VILL<br>CHOBIA | MGNREGA     | 06/21.11.24          | SAND         | 49130        |
|         |                                                 |             |                      | <b>TOTAL</b> | <b>99005</b> |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: -06 दिनांक 21.05.25 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

#### 8.4 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.05 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान तथा सेवा पर 18 % GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी

परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹ 99005/- का भुगतान किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बन्धित चालान/साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ 4715/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

| क्र० सं | विवरण                                        | निधि का नाम | वाउचर संख्या /दिनांक | मद का विवरण  | राशि (₹)     | अपेक्षित भुगतान | GST के रूप में हानि |
|---------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1       | RAKESH<br>KUMAR<br>GOVT CONT.<br>VILL CHOBIA | MGNREGA     | 06/21.11.24          | AGGREGATE    | 49875        | 47500           | 2375                |
| 2       | RAKESH<br>KUMAR<br>GOVT CONT.<br>VILL CHOBIA | MGNREGA     | 06/21.11.24          | SAND         | 49130        | 46790.48        | 2339.52             |
|         |                                              |             |                      | <b>TOTAL</b> | <b>99005</b> | <b>94290.48</b> | <b>4714.52</b>      |

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 06 दिनांक 21-05-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के संबंध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका

साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके संबंधित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

#### 8.5 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्रोत पर 0.10 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

| क्र० सं | विवरण                                       | निधि का नाम | वाउचर संख्या /दिनांक | मद का विवरण      | राशि (₹)      | सरकार को GST TDS की हानि (2%) |
|---------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| 1       | Ravinder kumar PVC Work main Bazar Bharmour | own Sources | 02/28.02.25          | Aluminum Fitting | 57000         | 1140                          |
| 2       | Ravinder kumar PVC Work main Bazar Bharmour | own Sources | 02/28.02.25          | Piling Works     | 440000        | 8800                          |
|         |                                             |             |                      | <b>TOTAL</b>     | <b>497000</b> | <b>9940</b>                   |

परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹497000 का भुगतान किया

गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹9940 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 21-05-2025 के संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया जोकि कर्मचारी की उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त जीएसटी टीडीएस की कटौती की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

#### 8.6 ₹ 04.97 लाख का सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹497000 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नहीं की गई थी।

| क्र० सं | वाउचर संख्या /दिनांक | निधि का नाम | विवरण                                                            | सामग्री का विवरण | राशि (₹) |
|---------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1       | 02/28.02.25          | own Sources | Ravinder kumar<br>PVC Work main<br>Bazar Bharmour                | Aluminum Fitting | 57000    |
| 2       | 02/28.02.25          | own Sources | 02/28.02.25<br>Ravinder kumar<br>PVC Work main<br>Bazar Bharmour | Piling Works     | 440000   |
|         |                      |             |                                                                  | Total            | 497000   |

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -08 दिनांक 15-05-2025 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## **9 विविध अनियमितताएं**

### **9.1 बिल वाउचर के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।**

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत चोबिया के लेखों के नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा जो व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। 2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

जिस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 09,10,11 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण को नहीं दिया गया। अतः उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 9.2 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

| क्र० | रजिस्टर/अभिलेख                                                      | फॉर्म संख्या | संदर्भित नियम |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.   | निवेश रजिस्टर                                                       | 01           | 12            |
| 2.   | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर                                          | 09           | 30            |
| 3.   | मासिक बैंक समाधान विवरणी                                            | ----         | 15(1)         |
| 4.   | माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर                                           | 10           | 33 व 77(4)    |
| 5.   | अनुदान रजिस्टर                                                      | 21           | 61(1)         |
| 6.   | निर्माण कार्य रजिस्टर                                               | -----        | 103           |
| 7.   | तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी<br>आकलन का रजिस्टर            | 31           | 95(1)         |
| 8.   | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर                                     | 25 व 26      | 72 (1) ए व बी |
| 9.   | Mnrega FTO , व वेंडर लिस्ट व BPL<br>रजिस्टर, कारवाही रजिस्टर अपूर्ण |              |               |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12, दिनांक 21.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा ।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

## 10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता । समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं कि जा सकता । यह एक गम्भीर अनियमितता है ।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

### 10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत चोबिया के नमूना अंकक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय-व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका। अंकक्षण अधिसूचना संख्या-11 दिनांक 21-05-2025 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया। जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुशंसा से अंकक्षण को अवगत करवाया जाये।

### 11. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है । अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया ।

12. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

5323-5327

08 AUG 2025 / 07

(कृष्ण लाल नेगी) 08/8/25  
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग  
शिमला-171009  
दूरभाष-0177-2626670

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)177/2025 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चोबिया, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

5323/07

(कृष्ण लाल नेगी) 08/8/25  
सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग  
शिमला-171009  
दूरभाष-0177-2626670

परिशिष्ट-1 के संख्या 4 (अ) के अन्तर्गत

| Financial Position of Own Sources in r/o |            |         | ' GP CHOBIA ' | Dev. Block Bharmour | Distt Chamba H.P |
|------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------------|------------------|
| Year                                     | Op.Balance | Receipt | Total         | Expenditure         | Closing Balance  |
| 2024-25                                  | 521116.39  | 1884595 | 2405711.39    | 1384271             | 1021440.39       |

प्रधान   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

सचिव   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

1914  
1915  
1916  
1917

1918  
1919  
1920  
1921

सौराष्ट्र-२ पैरा संख्या ४ (अ) के तर्जुमे मे

| Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Chobia B D.O Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P |            |         |            |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|-----------------|
| Year                                                                                                | Op.Balance | Receipt | Total      | Expenditure | Closing Balance |
| 2024-25                                                                                             | 0          | 0       | 4409896.61 | 4409896.61  | 0               |

प्रधान   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

सचिव   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

२०

ਮਾਨੀਸ਼  
ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼  
ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼

ਮਾਨੀਸ਼  
ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼  
ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼ ਮਾਨੀਸ਼

परिशिष्ट - 3 ग्राम पंचायत 4 (अ) व (ख) के अन्तर्गत

| Grant in aid in r/o Gram Panchayat |                          | ' GP CHOBIA ''   | Dev. Block Bharmour | Distt Chamba HP | Year Ended  | 2024-25         |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Sr.no.                             | Particulars              | Op.Balance       | Receipt             | Total           | Expenditure | Closing Balance |
| 1                                  | MNREGA                   | 0                | 4409896.61          | 4409896.61      | 4409896.61  | 0               |
|                                    | Total                    | 0                | 0                   | 4409896.61      | 4409896.61  | 0               |
|                                    | Balance As Per Cash Book |                  |                     |                 |             |                 |
| 1                                  | Balance on 31.03.2025    | (Own Source)/SFC |                     |                 |             | 1021440         |
| 2                                  | Balance on 31.03.2025    | MNREGA           |                     |                 |             | 0               |
|                                    |                          |                  |                     | Total           |             | 1021440         |
|                                    | Balance as per Bank      |                  |                     |                 |             |                 |
|                                    | A/c No                   | Branch           | Head                |                 |             |                 |
| 1                                  | 17810106060,             | HPSCB            | BHARMOUR            |                 |             | 1021440         |
|                                    |                          | Cash In Hand     |                     |                 |             | 0               |
|                                    | Total                    |                  |                     |                 |             | 1021440         |
|                                    |                          |                  |                     | Difference      |             | 0               |

प्रधान   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

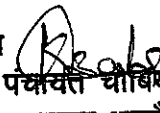
सचिव   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

ନାମ :-  
ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ :-  
ପଞ୍ଜୀକୃତ ତାରିଖ :-

ନାମ :-  
ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମ :-  
ପଞ୍ଜୀକୃତ ତାରିଖ :-

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत चौबिया परिशिष्ट- 4 पैरा संख्या 7.2 के संदर्भ में

| क्र.सं<br>ख्या | विवाह<br>पंजीकरण<br>संख्या | नाम         | विवाह की<br>तिथि | पंजीकरण की<br>तिथि | वसूली<br>योग्य राशी | वसूली गई<br>राशी | सरकारी कोष<br>में जमा न की<br>गई राशी |
|----------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1              | 53                         | नेक राज     | 18-04-2024       | 05-05-2024         | 200                 | 200              | 200                                   |
| 2              | 54                         | राकेश कुमार | 18-6-2024        | 18-07-2024         | 200                 | 200              | 200                                   |
| 3              | 55                         | विनोद कुमार | 25-8-2024        | 02-10-2024         | 200                 | 200              | 200                                   |
| 4              | 56                         | पवन कुमार   | 10-8-2024        | 02-10-2024         | 400                 | 400              | 400                                   |
| 5              | 57                         | अमित कुमार  | 09-10-2024       | 21-10-2024         | 200                 | 200              | 200                                   |
| 6              | 58                         | बबलू        | 11-08-2024       | 21-10-2024         | 400                 | 400              | 400                                   |
| 7              | 59                         | अभिषेक      | 12-10-2024       | 30-10-2024         | 200                 | 200              | 200                                   |
| 8              | 60                         | अजय         | 12-10-2024       | 30-10-2024         | 200                 | 200              | 200                                   |
|                |                            |             |                  |                    |                     | कुल              | 2000                                  |

प्रधान   
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

  
सचिव  
ग्राम पंचायत चौबिया  
विकास खण्ड भरमौर

परीक्षा  
आयोग  
आचार्य  
संस्कृत  
विभाग

परीक्षा  
आयोग  
आचार्य  
संस्कृत  
विभाग